BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL
EXECUTION APPLICATION No. 02/2022
IN

O.A. NO. 23/2021

IN THE MATTER OF:

APPLICANT: Swami Narhariyanand Sarovar

//VERSUS//

RESPONDENTS: State of MP. & Ors.

INDEX

Sl.	Particulars	Annexure	Page No.
01	COMPLAINCE CUM ACTION TAKEN REPORT OF ORDER DATED 13/07/2022		1-4
02	Affidavits		5-6
03	Copy of the sample notices issued to the Encroachers/Householders	ANNEXURE C-1 (colly)	7-10
04	Responses given by the Encroachers/Householders	ANNEXURE C-2 (colly)	11-22
05	List of the cases pending before the Divisional Commissioner, Jabalpur	ANNEXURE C-3	23-24
06	Copy of the compliance report dated 07/09/2022	ANNEXURE C-4	25-26

SUBMITTED BY;

RESPONDENTS

THROUGH;

(SACHIN K. VERMA)

COUNSEL FOR RESPONDENTS NO. 2 & 3

Place: BHOPAL

Date: 07/09/2022

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL
EXECUTION APPLICATION No. 02/2022
IN

O.A. NO. 23/2021

IN THE MATTER OF:

APPLICANT: Swami Narhariyanand Sarovar

//VERSUS//

RESPONDENTS: State of MP. & Ors.

COMPLAINCE CUM ACTION TAKEN REPORT OF ORDER DATED 13/07/2022

The Respondent State of MP and the Municipal Council Saikheda most respectfully submit as follows:-

1. The Hon'ble Tribunal vide its order dated 13/07/2022 passed following directions in this matter, the operative of the order is quoted below:-

> *"Learned counsel for the State, Sh. Sachin K Verma, has submitted that the proceedings of the Revenue Officers were challenged before Hon'ble the High Court of Madhya Pradesh whereby direction was issued to provide the opportunity of hearing to the aggrieved and proceed according to law. Despite of the direction of Hon'ble the High Court of Madhya Pradesh, the executive authorities District Collector, Panna or the Niab Tehsildar failed to exercise their duties to comply the order of Hon'ble High Court and to execute the order in accordance with law. Learned Counsel for the State sought a short time, so that the matter may be finalized by the Collector/District Authorities after giving an opportunity of hearing to the parties concerned."*

2. In compliance to the directions passed by the Hon'ble Tribunal, the District Collector District Narsingpur passed instructions to the Chief Municipal Officer, Municipal Council Saikheda for the protection and conservation of Narhariyanand Talab. The Chief Municipal Officer as an interim measures has initiated following proceedings:-

i. Swaminarhariyanand Talab Village Saikheda Revenue Inspection Division Tehsil Saikheda District Narsingpur is situated on Government land bearing Khasra no. 456, 457, 458/1, total area 6.770 Hectares. The classification of the land is Talab.

ii. The Urban Local Body is setting up a Sewage Treatment Plant (in short 'STP') having the capacity of 2.6 MLD which has been constructed through MPUDCL at present 80% work has been completed and it is likely that the Project Implementation Unit will complete the construction work at the earliest in near future, further the sewage line laying work is also almost completed and in terms of percentage 92% work has been completed.

iii. The Project Manager of the Project Implementation Unit has assured that after the withdrawal of rainy season the STP Construction work will be completed and after the completion of STP construction work the untreated sewage will be trapped and further will be scientifically treated by the STP. The Municipal Council Saikheda has adopted door to door solid waste collection from the residential units so as to ensure the scientific disposal of the solid waste and from time to time it is publicly advertised and broadcasted that in case of disposal of solid waste in the water bodies penal action in the shape of penalty will be imposed upon the violators.

iv. At the Government Revenue Land settled and recorded as Talab Land in the revenue records there are 73 encroachments, the encroachments are mostly residential units thereby the Municipal Council Saikheda has issued

demand notice for the recovery of environmental compensation and also sought the chain of documents pertaining to the title and ownership of the Householders. The proceedings are under active consideration in accordance with law. After the issuance of notices, the 32 householders are now releasing the household sewage at other location so as to ensure that the sewage shall not flow into the Talab and have further connected the sewage pipelines with the main newly laid sewage line which is not having any run off into the Talab. Further the storm water drains which are having their flow into the Talab have been diverted to the different location so that its rainy water may not flow into the Talab. The copy of the sample notices issued to the Encroachers/Householders are collectively marked and filed herewith as **ANNEXURE C-1(colly)** & the copy of the Responses given by the Encroachers/Householders are collectively marked and filed herewith as **ANNEXURE C- 2 (colly)**

v. The Nayab Tehsildar, Tehsil Saikheda District Narsingpur, after being reported by the Municipal Council pertaining to 73 encroachments upon the land settled and recorded as Government Land Talab in revenue records has registered cases within the preview of Section 248 of the MP Land Revenue Code 1959 and after being served some of the householders have approached the court of Divisional Commissioner Jabalpur, and some of the householders have already approached Hon'ble High court Principal Seat At Jabalpur the directions passed by Hon'ble High Court are already brought to the kind notice of Hon'ble Tribunal therefore, in compliance to the directions passed by Hon'ble High Court the reasonable opportunity of hearing is provided to the encroachers and after completion of hearing orders will be passed on its merits. The list of the cases pending before the Divisional Commissioner, Jabalpur is marked and filed herewith as **ANNEXURE C-3** & The copy of the compliance report dated 07/09/2022 is marked and filed herewith as **ANNEXURE C-4**

(4)

3. The submissions and compliance may kindly be taken on record.

4. An Affidavits in support are filed herewith.

SUBMITTED BY;

RESPONDENTS

THROUGH;

Place: BHOPAL

Date: 07/09/2022

(SACHIN K. VERMA)

COUNSEL FOR RESPONDENTS NO. 2 & 3

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL

EXECUTION APPLICATION No. 02/2022

IN

O.A. NO. 23/2021

IN THE MATTER OF:

APPLICANT: Swami Narhariyanand Sarovar

//VERSUS//

RESPONDENTS: State of MP. & Ors.

AFFIDAVIT

I, Rajendra Kumar Sharma, Aged about 56 years, S/o Shri Nitya Gopal Sharma, posted as Chief Municipal Officer, O/o Nagar Parishad Sainkheda, Narsinghpur (M.P.), do hereby state on oath and solemnly affirm as under:-

1. That, I am Respondent No. 3 in the present matter and as such I am well conversant with the facts of the case and therefore, competent to swear this affidavit.

2. That the accompanying compliance report has been drafted as per my instructions and also explained to me.

3. That the contents of para 1 to end of accompanying compliance report are true to my knowledge based upon official records and the legal averments made therein are true on the legal advice received and believed to be true.

संजय कुमार विश्वकर्मा भोपाल शपथ आयुक्त

श्री Rajendra Kumar आत्मज sharma S/o shri Nitya Gopal sharma
निवासी Nagar Parishad Sainkheda Narsinghpur (M.P)
आज दिनांक 7/9/022 को मेरे समक्ष शपथ ग्रहण की।
श्री .... ने शपथ ग्रहीता को पहचाना।
हर्षिता तेजवानी Ad

DEPONENT

VERIFICATION

I, above described deponent do hereby verify that the content of para 1 to 3 of the affidavit are true to my personal knowledge and belief.

Verified and signed on this 7th day of SEPTEMBER 2022 at Bhopal (M.P)

संजय कुमार विश्वकर्मा

प्रमाणित किया जाता है कि शपथ ग्रहीता को मेरे समक्ष शपथ–पत्र सुनाया, समझाया गया। उसने सही समझकर हस्ताक्षर/अंगूठा मेरे समक्ष अंकित किया।

संजय कुमार विश्वकर्मा
शपथ आयुक्त, भोपाल

DEPONENT

IDENTIFIED BY ME

(6)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL

EXECUTION APPLICATION No. 02/2022

IN

O.A. NO. 23/2021

IN THE MATTER OF:

APPLICANT: Swami Narhariyanand Sarovar

//VERSUS//

RESPONDENTS: State of MP. & Ors.

AFFIDAVIT

I, Akash Dahare, S/o Shri G.L. Dahare Aged about 32 years, posted as Nayab Tehsildar Tehsil Saikheda, O/o Tehsildar Office Saikheda, Tehsil Saikheda (M.P.), do hereby state on oath and solemnly affirm as under:-

संजय कुमार विश्वकर्मा 1. भोपाल शपथ आयुक्त

1. That, I am the Nayab Tehsildar, Tehsil Saikheda and as such I am well conversant with the facts of the case and therefore, competent to swear this affidavit.

2 That the accompanying compliance report has been drafted as per my instructions and also explained to me.

3. That the contents of para 1 to end of accompanying compliance report are true to my knowledge based upon official records and the legal averments made therein are true on the legal advice received and believed to be true.

श्री Akash Dahare आत्मज S/o Shri G.L. Dahare
निवासी Tehsildar office Saikheda Tehsil Saikheda (M.P)
आज दिनांक 9/9/022 को मेरे समक्ष शपथ ग्रहण की।
श्री ने शपथ ग्रहीता को पहचाना।
हर्षिता तेजवानी Ad.

संजय कुमार विश्वकर्मा
शपथ आयुक्त, भोपाल

DEPONENT

VERIFICATION

I, above described deponent do hereby verify that the content of para 1 to 3 of the affidavit are true to my personal knowledge and belief.

प्रमाणित किया जाता है कि शपथ ग्रहीता को मेरे समक्ष शपथ-पत्र सुनाया, समझाया गया, जिसे सही समझकर हस्ताक्षर/अंगूठा मेरे समक्ष अंकित किया।

Verified and signed on this 9th day of SEPTEMBER 2022 at Bhopal (M.P)

संजय कुमार विश्वकर्मा
शपथ आयुक्त, भोपाल

DEPONENT

IDENTIFIED BY ME

ANNEXURE C-1

(7)

कार्यालय नगर परिषद साईखेडा जिला,नरसिंहपुर

(E-MAIL ADDRES- CMOSAIKHEDA@MPURBAN.GOV.IN फोन07791-260320)

क्रमांक/760/न.प.साई/2022 साईखेडा,दिनांक 29/7/2022

—::नोटिस::—

प्रति,

श्री गोपी ...

साईखेडा

विषयः– तालाब क्षेत्र में अतिक्रमण के संबंध में।

विषयांतर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार साईखेडा के द्वारा शासकीय तालाब पानी मद के ख. नं. 456, 457, 458/1 कुल रकवा 6.777 का विधिवत सीमांकन में आपके द्वारा उक्त जलमद भूमि में अतिक्रमण होना पाया गया है आपको सूचित किया जा रहा है कि आप उक्त काबिज अतिक्रमण भूमि का स्वामित्व संबंधित दस्तावेज नोटिस दिनांक से 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में आपके विरुध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद साईखेडा

पृ.क. 761/न.प.साई./2022 साईखेडा दिनांक 29/7/2022

प्रतिलिपीः–

1. प्रशासक महोदय नगर परिषद साईखेडा की ओर सादर सूचनार्थ।

प्राप्त
3-8-22

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद साईखेडा

(8)

कार्यालय नगर परिषद साईखेडा जिला,नरसिंहपुर

(E-MAIL ADDRES- CMOSAIKHEDA@MPURBAN.GOV.IN फोन07791-250320)

क्रमांक /760/न.प.साई / 2022 साईखेडा,दिनांक 29/7/2022

—::नोटिस::—

प्रति,

श्री आशीष
साईखेड़ा

विषयः— तालाब क्षेत्र में अतिकमण के सवंध में।

विषयांतर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार साईखेडा के द्वारा शासकीय तालाब पानी मद के ख. नं. 456, 457, 458/1 कुल रकवा 6.777 का विधिवत सीमांकन में आपके द्वारा उक्त जलमद भूमि में अतिकमण होना पाया गया है आपको सूचित किया जा रहा है कि आप उक्त काबिज अतिकमण भूमि का स्वामित्व संबंधित दस्तावेज नोटिस दिनांक से 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में आपके विरूध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद साईखेडा

पृ.क. 761 / न.प.साई. / 2022 साईखेडा दिनांक 29/7/2022

प्रतिलिपीः—

1. प्रशासक महोदय नगर परिषद साईखेडा की ओर सादर सूचनार्थ।

आशीष

मुख्य नगरपलिका अधिकारी
नगर परिषद साईखेडा

(9)

कार्यालय नगर परिषद साईखेडा जिला,नरसिंहपुर

(E-MAIL ADDRES- CMOSAIKHEDA@MPURBAN.GOV.IN फोन07791-250320)

प.क्रमांक 1621 /न.प.साई / 2022

साईखेडा,दिनांक 29/7/2022

--:: न्यूशेंस नोटिस ::--

प्रति

श्री ओमप्रकाश

साईखेडा

विषयः-- आपके मकान का गन्दा निस्तारी/मल जल तालाब में प्रवाहित किये जाने के संबंध में।

विषयांतर्गत आपको पूर्व में सूचित किया गया था कि आप अपने घर का निस्तारी पानी सीधे तालाब मे प्रवाहित न करें तत्संबंध मे म.प्र. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निकाय के उपर शास्ति अधिरोपित किया गया अतः इसके तहत आप अर्थदण्ड राशि रू. 160000 रूपये एक लाख साठ हजार को PD एकाउंट नं 051/1121/2109 ADDITIANONAL SECRETARY ENVIRONMENT DEPARTMENT विन्ध्यॉचल भवन भोपाल के खाते में जमा करें अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें। सूचित हो--

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद साईखेडा

पृ.क्र. 763 / न.प.साई / 2022 साईखेडा दिनांक 29/7/2022

प्रतिलिपिः--

1. प्रशासक महोदय नगर परिषद साईखेडा की ओर सादर सूचनार्थ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद साईखेडा

(10)

कार्यालय नगर परिषद साईखेडा जिला,नरसिंहपुर

(E-MAIL ADDRES- CMOSAIKHEDA@MPURBAN.GOV.IN फोन07791-250320)

प.क्रमांक 762/ न.प.साई / 2022 साईखेडा,दिनांक 29/7/2022

—:: न्यूशेंस नोटिस ::—

प्रति

श्री .... इन्द्रकुमार ....

.... साईखेडा ....

विषयः— आपके मकान का गन्दा निरस्तारी / मल जल तालाब में प्रवाहित किये जाने के संबंध में।

विषयांतर्गत आपको पूर्व में सूचित किया गया था कि आप अपने घर का निरस्तारी पानी सीधे तालाब मे प्रवाहित न करें तत्संबंध मे म.प्र. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निकाय के उपर शास्ति अधिरोपित किया गया अतः इसके तहत आप अर्थदण्ड राशि रू. 160000 रूपये एक लाख साठ हजार को PD एकाउंट नं 051 / 1121 / 2109 ADDITIANONAL SECRETARY ENVIRONMENT DEPARTMENT विन्ध्याँचल भवन भोपाल के खाते मे जमा करें अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें। सूचित हो—

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद साईखेडा

पृ.कं. 763 / न.प.साई / 2022 साईखेडा दिनांक 29/7/2022

प्रतिलिपिः—

1. प्रशासक महोदय नगर परिषद साईखेडा की ओर सादर सूचनार्थ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद साईखेडा

ANNEXURE C-2

(11)

कार्यालय नगर परिषद साईखेडा जिला, नरसिंहपुर म.प्र.

(E-MAIL ADDRESS- CMOSAIKHEDA@MPURBAN.GOV.IN फोन 07791-250320)

क्रमांक / 8[illegible] / न.प.साई / 2022

साईखेडा, दिनांक 2 / 9 / 2022

न.पा.अधिनियम 1961 की धारा 187, 223 के अंतर्गत सूचना पत्र

बनाम

श्री संतोष अवधिया

....

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र कं./ 760 एवं 762 दिनांक 29/07/2022

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नरहरियानंद तालाब कि भूमि पर अतिकमण कर बगैर अनुमति भवन निर्माण किया जाकर नरहरियानंद तालाब में वर्षो से दूषित पानी डाले जाने से नरहरियानंद समिति द्वारा ए0जी0टी0 में प्रकरण दायर किया हैं। जिसके अनुसार आपके द्वारा किये गये अतिकमण हटाया जाना हैं तथा जो जुर्माने कि राशि आपके उपर अधिरोपित कि गई हैं का भुगतान किया जाना हैं।

अतः आप सूचना पत्र प्राप्त उपरांत अधिरोपित कि राशि 160000.00 रुपये शब्दो में एक लाख साठ हजार रुपये जमा करते हुए आपके द्वारा निर्मित किये गये भवन कि स्वामित्व अभिलेख तथा भवन निर्माण अनुज्ञा आदि अभिलेख सहित 3 दिवस के अंदर समक्ष में उपस्थित होकर अपने कथन देवे, विपरीत स्थिति में अथवा जबाब प्रस्तुत न करने की दशा में आपके विरूद्ध उल्लेखित धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही कि जावेगी जिसका समस्त उत्तर दायित्व आपका होगा।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, साईखेडा

पृ0 क्रमांक 895 / न.प.साई / 2022

साईखेडा, दिनांक 2/9/2022

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गाडरवारा की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, साईखेडा

raj

प्रति

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद साईखेडा

(12)

विषयः– नगर परिषद द्वारा प्राप्त पत्र कमांक 893 दिनांक 02/09/2022 के जवाब बावत्।

महोदय जी,

निवेदन है कि मुझे माकान अतिक्रमण एवं तालाब में दूषित पानी डालने हेतु नोटिस दिया गया है जिसके जवाब हेतु आपके समक्ष में प्रस्तुत ।

जिस जगह पर मेरा मकान बना हुआ है वह मेरे द्वारा खरीदा गया है जिसकी खरीदी लगभग 70 वर्ष पूर्व की गई है जिसमें कोई नया निर्माण नही किया गया मकान और तालाब के बीच दूरी लगभग 15 फीट से अधिक है कई सालों से मकान को गोदाम के रूप में उपयोग किया जा रहा है जिससे तालाब में गंदा पानी जाने का कोई प्रकरण ही नही बनता मेरे घर के पीछे से सीवरेज लाईन का कार्य पूर्ण हो चुका है जिससे की घर से निकलने वाले जल को सीवरेज लाईन से जोड दिया गया है जिससे कोई भी पानी तालाब में नही जाता। एवं मेरा निवास झिकोली रोड पर है। इससे पहले माननीय तहसीलदार महो0 द्वारा नोटिस प्राप्त हुआ था जिसके विरुद्व मेने जवाब प्रस्तुत किया उसमें अपनी मकान की रजिस्ट्री संलग्न की श्रीमान जी का कहना था कि हमने अपने विवेक से पटवारी के माध्यम से नोटिस जारी करवाये क्योकि हमें 01 दिवस में पूरी जानकारी मिलने का आदेश प्राप्त हुआ था अतः हमने अनुमानित स्तर पर लोगों को नोटिस जारी किये है।

अतः लगाया गया जुर्माना अनुचित है एवं हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नही किया गया हमे इस जुर्माने के भार से मुक्त किया जावे।

धन्यवाद

संलग्नः– मकान की रजिस्ट्री

प्रार्थी
संतोष कुमार
6.9.022

381
06/09/22

750 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

७५० रु.   Rs 750

भारत

सात सौ पचास रुपया   SEVEN HUNDRED & FIFTY RUPEES

(13)

श्री

बैनामा तादादी २०००० बीसहजार रुपया मावजा के रुपया वक्तरजिस्टरी के लेवेंगे:

स्टा० के अनुसार ७००
व्लाकसाइखेडा १००रु०
ग्रामपन्चाइ के:

नाम खरीददार: श्री फूलचन्द वल्द खेमचन्द कसेरा निवासी साइखेडा तह०गाडरवारा

नाम बेचने वाला : १ चैतराम वल्द जुगलकिशोर जात सोनी निवासी साइखेडा
२ पूरन लाल आत्मज चैतराम सोनी तह०गाडरवारा
३ कन्हेदीलाल आत्मज चैतराम सोनी

तफसीलवै शुदा जायदाद : एक किता मकान मय सामानसरहद्द जगा चोहदी के अन्दर का वाके साइखेडा नं.व. ४३४ तह० गाडरवारा का वेचा : जिसकेपूरव मै तालावसरकारी पश्चिम मै आमरास्ता उत्तर मै मु० परमो साधा का मकान दक्षिण मै बुलकी ~~बल्द~~बेवा कन्हे अगरवाल का मकान पूरव से पश्चिम तक बुलकी वाईतरफ ५४ फुट ८ इन्च मु० परमोतरफ ५४ फुट उत्तर दक्षिण आम रास्ता तरफ ३५ फुट तालावतरफ २१ फुट ३इन्च मकान के सामने रास्तातरफ २ फुट डिपटी सिड मकान के सामने दहलान दो वाद मै २ कोठा बीच मै आंगन तालावतरफ दोकोठा : मयजगासहितबेच तथा वे शुदा मकान के उत्तरतरफ मु० परमो बेवा कन्हैसाधके मकान के बीचमै कुलिया है जिसतरहहम बेचने वाले उसमै निस्तार करते रहे है वह हक आपखरीददार का रहेगा इसी तरह दक्षिणतरफबुलकीवा के तथावै शुदा मकान के बीचमै कुलिया है ~~हक~~ उस पर भी जिसतरह हमबेचने वालेनिस्तार करते रहे है व आप खरीददार का हक रहेगा: तथा वे शुदा मकान के पूरव पश्चिम उत्तरदक्षिण याने चारोतरफकी दिवाल वे शुदा है : वेशुदा मकान के सामने टिपटीसिडडी जो है २ फुट की वह भीवे शुदा है:

बैनामा लिख दिया वहक खरीददार के बेचने वालेने वावत ऐसी जो कि हमने अपना उपराक्त मकान ऊपर । लिखे मावजा पाकर आज की तारीख से हमेशा के लिये बेचकर आपखरीददार का कब्जा दखल करा दिया सो

50Rs.

पचास रुपया

भारत

INDIA

FIFTY RUPEES

५०रु.

50Rs.

(14)

हमेशा पुश्तान पुश्त को कब्जा दखल करो आइन्दा हम व हमारे वारसान किसी किस्म की उजर व दावा करें सो झूठ व वे शुदा जायेदादहर बार से साफपाक है किसी भी तरह का इस वे शुदा जायेदादपर वोफया बार नही है और न इस वे शुदा जायेदाद पर हमने किसी तरह का करजा लिय है और न किसी प्रकार का इसपर बार है: यदि किसी किस्म का बार निकले और आपखरीददार को चुकाना पडे तो वह रकम मय हरजा खरचा के हमसे व हमारे वारसान से आपखरीददार या आपके वारसान हमसे व हमारे वारसान से वसूल करलेना: चूंकि हमलोगो कोअपने व्यवसाय के लिये रकम की आवश्यकता है तथा कुटुम्बकी परवरसती के लिये एवं नाबालगान की पढाई तथा शादियो के लिये एव की कुटुम्बकी भलाई के लिये रकम की आवश्यकता है सिवाये मकान बेच देने के दूसरा कोईसाधान नही है: तथा हमलोग दूसरी जायेदादभी खरीदकररहे है इसलिये हमने यह मकान बेच दिया: वे शुदा जायेदाद आपखुद रखो या किसी दूसरे को देओ हमसे व वे शुदा जायेदाद से आज की तारीख से कोई सरोकार नही रहा: बैनामा हमने अपनी राजीखुशी होशहवाशतन्दूरुस्ती मे लिखासोसही फ० ता०

२०.७.१९६८ ई०व०क०

गवाह

गवाह

कार्यालय नगर परिषद साईखेडा जिला, नरसिंहपुर म.प्र.

(E-MAIL ADDRESS- CMOSAIKHEDA@MPURBAN.GOV.IN फोन 07791-250320)

क्रमांक/893/न.प.साई/2022 साईखेडा, दिनांक 2/9/2022

न.पा.अधिनियम 1961 की धारा 187, 223 के अंतर्गत सूचना पत्र

बनाम

श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल

....

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र कं./ 760 एवं 762 दिनांक 29/07/2022

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नरहरियानंद तालाब कि भूमि पर अतिकमण कर बगैर अनुमति भवन निर्माण किया जाकर नरहरियानंद तालाब में वर्षो से दूषित पानी डाले जाने से नरहरियानंद समिति द्वारा ए0जी0टी0 में प्रकरण दायर किया हैं। जिसके अनुसार आपके द्वारा किये गये अतिकमण हटाया जाना हैं तथा जो जुर्माने कि राशि आपके उपर अधिरोपित कि गई हैं का भुगतान किया जाना हैं।

अतः आप सूचना पत्र प्राप्त उपरांत अधिरोपित कि राशि 160000=00 रुपये शब्दो में एक लाख साठ हजार रुपये जमा करते हुए आपके द्वारा निर्मित किये गये भवन कि स्वामित्व अभिलेख तथा भवन निर्माण अनुज्ञा आदि अभिलेख सहित 3 दिवस के अंदर समक्ष में उपस्थित होकर अपने कथन देवे, विपरीत स्थिति में अथवा जबाब प्रस्तुत न करने की दशा में आपके विरूद्ध उल्लेखित धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही कि जावेगी जिसका समस्त उत्तर दायित्व आपका होगा।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, साईखेडा

पृ0 कमांक/895/न.प.साई/2022 साईखेडा, दिनांक 2/9/2022

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गाडरवारा की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, साईखेडा

raj

प्रति

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद साईखेडा

16

विषयः— नगर परिषद द्वारा प्राप्त पत्र क्रमांक 893 दिनांक 02/09/2022 के जवाब बावत्।

महोदय जी,

निवेदन है कि मुझे माकान अतिक्रमण एवं तालाब में दूषित पानी डालने हेतु नोटिस दिया गया है जिसके जबाव हेतु आपके समक्ष में प्रस्तुत ।

जिस जगह पर मेरा मकान बना हुआ है वह मेरा पैत्रिक मकान है जिसमें हम कई पीढीयों से निवासरत है मेरे घर के पीछे से सीवरेज लाईन का कार्य पूर्ण हो चुका है जिससे की घर से निकलने वाले जल को सीवरेज लाईन से जोड दिया गया है जिससे कोई भी पानी तालाब में नही जाता। इससे पहले माननीय तहसीलदार महो0 द्वारा नोटिस प्राप्त हुआ था जिसके विरूद्व मेने जबाब प्रस्तुत किया उसमें अपने मकान का वैनामा (इकरारनामा), नजरी नक्शा एवं ग्राम पंचायत का एनओसी संलग्न कर प्रस्तुत किया गया था जिससे मैने प्रमाणित किया कि हमारा मकान किसी भी प्रकार के अतिक्रमण में नही है।

अतः लगाया गया जुर्माना अनुचित है एवं हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नही किया गया हमे इस जुर्माने के भार से मुक्त किया जावे।

धन्यवाद

संलग्नः— मकान का वैनामा (इकरारनामा), नजरी नक्शा एवं ग्राम पंचायत का एनओसी

प्रार्थी

(17) 8 Rs.

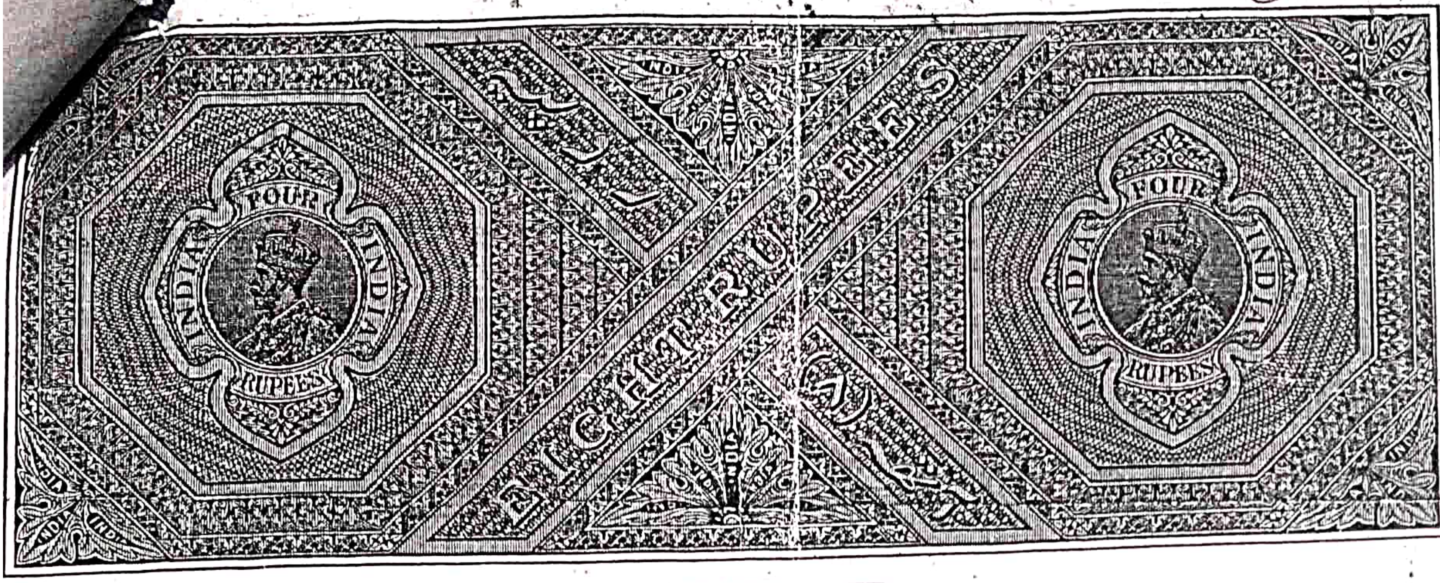

आठ रुपया

बैनामा लिख दिया गनेशराम जी जीवनराम जी पिसरान बलीराम व चौधरमदास
नाबालग पिसर मूलचंद वली कायम गनेशराम अकवाम ब्राह्मण पेशा
मालगुजारी साकनान साइखेड़ा वालों ने मौजा साइखेड़ा
के लक्ष्मीप्रसाद वल्द बिहारीलाल कौम अग्रवाल ने बाबत
मेरी जो कि हमने अपना एक किता मकान खपरैला मय सहन सरहद आबादान
जगह झाड़पेड़ दिखलाये नकसा ने चौहद्दी नीचे दर्ज वाके मौजा
साइखेड़ा तहसील गाडरवारा जिला होशंगाबाद का हमेशा को पुस्तान
पुस्त को बेचा रुपया ९००) अंकन नौसो सिक्का कल्दार में
सो माबत के कारण इस तरह पाया डिगरी नंबरी ३०२/२ सन १९३३
अदालत जनाब सबजज साहब दरजा २ गाडरवारा तारीख डिगरी
१२-१-१९३४ ई. है सो इसका मुकदमा दावा असल मय खर्चा
नंबरी व हुकरसी का फैसला हुआ रुपया ९००) अंकन नौसो
रुपया में सो मुजरा पाये वो मकान पर हमेशा को पुस्तान पुस्त
को कब्जा करा दिया सो करो इसमें हम व हमारे वारसान
किसी तरह की उजर व दावा करें सो झूठ समझा जावे वो
बैनामा सुदा मकान हरकिस्म के नालिस से पाक साफ है वो

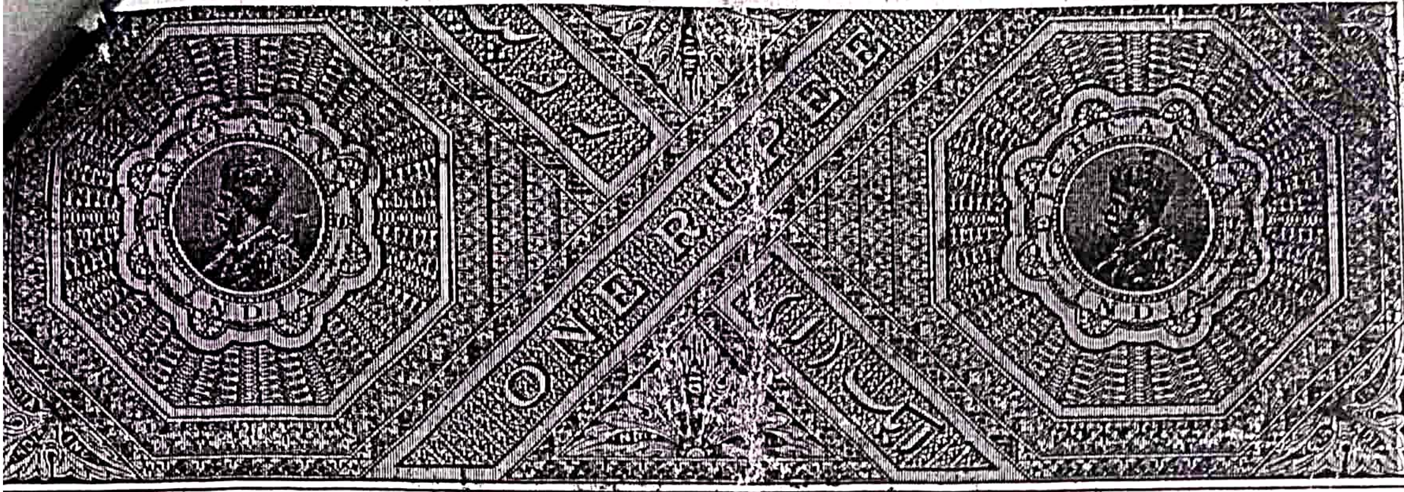

एक रुपया

वैनामासुदा मकान नकोलो तरह हमारे कब्जे से निकल जावे तो जरमा वजा
फौरन वापस देदेंगे बैनामा राजी रजामंदी से लिखदिया कि सनद रहे
पंडित कुंवर सुदी ११ संवत १९९३ ता. २६-१०-१९३६
द. मुलचंद मिश्र बकलम खुद गवाह
साईलो.
उत्तर गली पांचाल पजान दा मकान
पूर्व पश्चिम ५॥ फुट
उत्तर द. ३० फुट

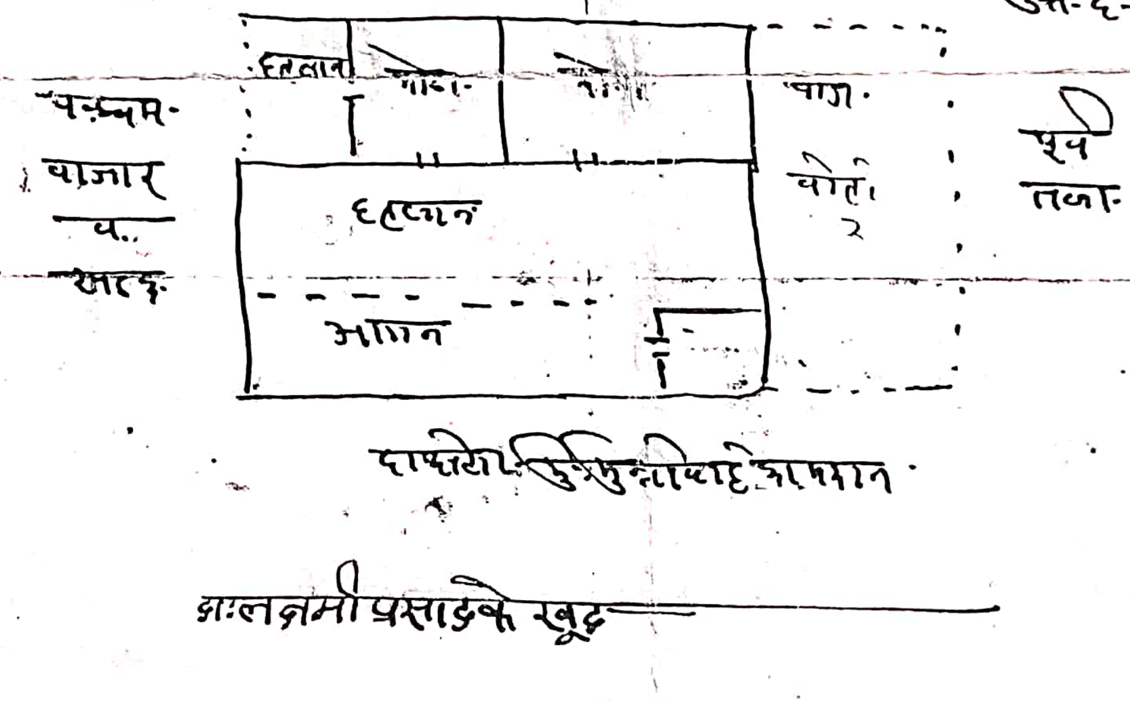

दक्षिण गुरु मुन्नीलाल दा मकान

द: लक्ष्मी प्रसाद के खुद

गवाह जोगराम मुताबिक साईल के दस्तखत किये हमने कि जीलाल ...
... इन बातों के बनामे के सामने ...
ने लिखवा दिया हमारे सामने लिखवा दिया
सामने करे = हमारे सामने करे =

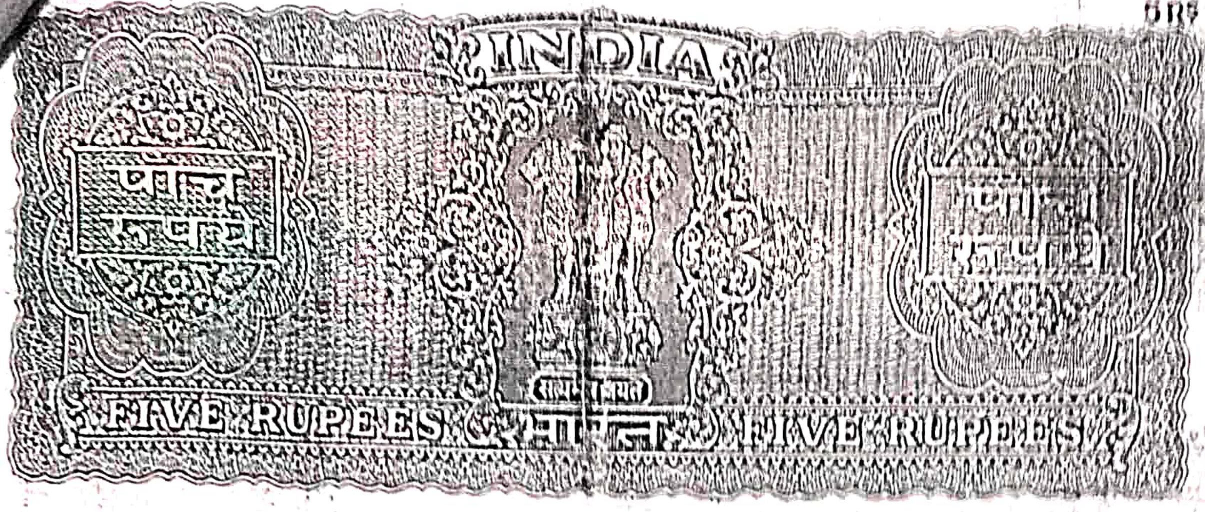

इकरारनामा

इकरारनामा लिख दिया श्री हरीशंकर आ. सब्बुलाल अग्रवाल पेसा व्यापार निवासी साईखेड़ा तह० गाडरवारा जिला- नरसिंहपुर वालो को ये तो मोजा साईखेड़ा तह० गाडरवारा के श्री सब्बुलाल वा० दुलीचन्द्र अग्रवाल पेसा खेती ने वावत ऐसी जो कि हमने आपको अपनी समजिया नीचे लिखे मकान(अचल सम्पत्ती) के बटवारे जो कि हरकिस्म के वारो से साक पाक है कहीं रहन या वक्कीस नही है हमेशा को पुस्तान पुस्त को अपने बड़े पुत्र होने के नाते दिये है । मकानो पर कब्जा आप हरीशंकर का बटवारे होने के बाद से है, सो मकान आप खुद रखो या बेचो हमें उक्त मकानो से कोई वास्ता नही रहा । इकरारनामा लिखा सो सही वक्त पर काम आवे । सही दिनांक १६।६।८८

मकान मोजा साईखेड़ा तह० गाडरवारा जिला-- नरसिंहपुर में है :-

मकान नं० 1/- ग्राम पंचायत साईखेड़ा के मेन रोड सिमेन्ट रोड से लगा पक्का दो मंजील अग्राजी खपरेल जिसमें कपड़ा की दुकान है । जिसके पूर्व में सिमेन्ट रोड पश्चिम में श्रीचुन्नीलाल अग्रवाल की जगह है, उत्तर में श्री नर्मदाप्रसाद अग्रवाल का मकान है, मकान के दक्षिण में श्री चुन्नीलाल जी का मकान है । मकान की उत्तर से दक्षिण चोड़ाई :- 12 फुट है पूर्वसे पश्चिम लम्बाई- 58 फुट है बिजलीके मीटर का नम्बर - 15 है ।

मकान नं० 2 /- ग्राम पंचायत साईखेड़ा के मेन रोड सिमेन्ट रोड स्थित पक्का मकान देशी खपरेल का बिजली के मीटर नं०- 48 है, मकान के उत्तर में श्री जगदिश प्रसाद अग्रवाल का मकान है, दक्षिण में श्री जीवनलाल अग्रवाल का मकान है, पूर्व में सार्वजनिक तालाब है, पश्चिम में सिमेन्ट रोड है उत्तर से दक्षिण चोड़ाई- 18 फुट पूर्व से पश्चिम लम्बाई - 66 फुट है ।

मकान नं० 3:- यह मकान ग्राम पंचायत साईखेड़ा की मेन रोड से लगी सिमेन्ट रोड है से लगा है दो मंजीला है, सिमेन्ट से बना है । मकान के उत्तर मेंश्री जीवनलाल जी अग्रवाल का मकान, दक्षिणमें ग्राम पंचायत साईखेड़ा का रास्ता है, पूर्व में सिमेन्ट रोड है, पश्चिम में छोटेलाल अग्रवाल का मकान है, बिजली के मीटर का नं० 215 है । उत्तर से दक्षिण चोड़ाई, 23 फुट 6 इंच पूर्व से पश्चिम लम्बाई । फुट 6 इंच है ।

वाह:- द० [illegible]

वाह:- द० [illegible]

द० [illegible] अग्रवाल
साईखेड़ा
ता० १६।६।८८

(20)

दि० 7/4/88

मध्यस्थ श्रीमती पंचफूल

विक्रेता - मुन्नूलाल आ० ...

क्रेता - हरिशंकर आ० मुन्नूलाल

साक्षी - ...

साक्षी - ...

कैलाश कुमार

16/6/88

नजरी नक्शा

मौजा - साईखेड़ा, ब. नं. ४३४, प. ह. नं. ३२

तहसील - गाडरवारा, जिला - नरसिंहपुर।

आबादी खसरा नम्बर २३०, रकबा - ५.२२८ हेक्टर में से - १२५४ वर्गफुट, मद - आबादी। हाल ही में तोड़ गये मकान एवं १२५४ वर्गफुट भूमि मालिक (कब्जेदार) का नाम - पुरुषोत्तमदास आ. जीवन लाल अग्रवाल सा. साईखेड़ा।

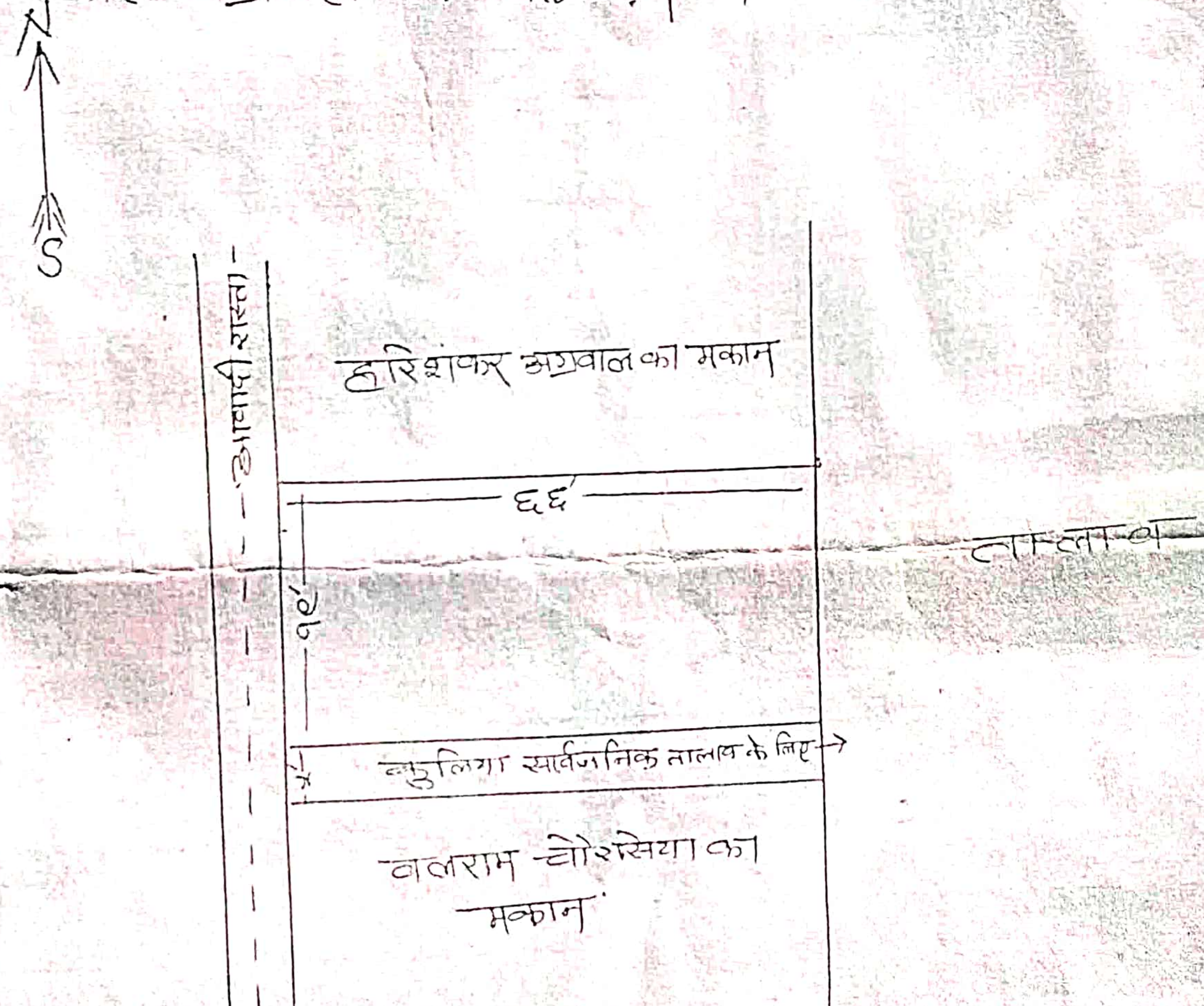

नोट :- ६६x१९ = १२५४ वर्गफुट में पूर्व में बना मकान जो तोड़ दिया गया क्योंकि जीर्ण शीर्ण हो गया था। उक्त मकान कच्चा खपरैल लकड़ी का बना हुआ था। निरीक्षण दि. २२।०।२००९ को मकान में लगे प्रवेश द्वार के तीन दरवाजे लकड़ी के लगे हुए पाये गये। उक्त मकान चार कमरों का मकान मालिक द्वारा बताये अनुसार करीब ७० - ७५ वर्ष पुराना था। निर्माण के अवशेष मौके पर पाये गये।

प.ह. ३२
।०।२००९

कार्यालय ग्राम पंचायत, सांईखेड़ा

विकास खंड - सांईखेड़ा, तह. - गाडरवारा
जिला - नरसिंहपुर (म.प्र.)

(22)

क्रमांक....... दिनांक 21/9/2001

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल / श्री जीवनलाल अग्रवाल का निजि मकान ग्राम सांईखेड़ा में वार्ड क्र. 11 में मुख्य आम रास्ता पर स्थित क्षतिग्रस्त हो गया है जिसका पुन: निर्माण किया जा रहा है इसमें ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

चासीराम भिलाला

सरपंच
ग्राम पंचायत साँईखेड़ा
वि.ख. साँईखेड़ा
जिला - नरसिंहपुर

ANNEXURE C-3

(23)

कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंण्डाधिकारी सांईखेडा / देवरी / गाडरवारा–2 तहसील सांईखेडा

प्र0कमांक / 163 / प्र0तह0 / 2022 सांईखेडा दिनांकः–07 / 09 / 2022

प्रति,

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT)
केन्द्रीय शाखा, भोपाल

विषयः–नरहरियानंद तालाब सांईखेडा में अतिक्रमण प्रकरणो के संबंध में।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख हैं कि, नरहरियानंद तालाब मौजा सांईखेडा प0ह0नं0 09 रा0नि0मं0 सांईखेडा स्थित भूमि ख0नं0 456, 457, 458 / 1 कुल रकवा 6.777 हे0 भूमि शासकीय तालाब मद में दर्ज हैं। जिसका सीमांकन विधिवत् सीमांकन दल गठित कर कराया गया। जिसमें 73 व्यक्तियों के द्वारा मकान एवं दुकान बनाकर अतिकमण पाया गया। 73 प्रकरण अतिकमण के न्यायालय में पंजीबध्द किये गये थे। 73 प्रकरण में से 52 प्रकरणो में श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) गाडरवारा के न्यायालय में अपील पेश की गई थी। 05 प्रकरणों में अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा पुनः सुनवाई के आदेश पारित किये गये थे। तथा उक्त 73 प्रकरणों में से 25 प्रकरणों मे माननीय कमिश्नर महोदय जबलपुर के न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की गई हैं जो विचाराधीन हैं। उक्त अपीलीय प्रकरणों की सूची आपकी ओर सादर संप्रेषित हैं।

संलग्न :– अपीलीय प्रकणो की सूची

तहसीलदार
सांईखेडा / देवरी / गाडरवारा–2

२५

अपीलीय प्रकरणों की सूची

क्रं0	प्रकरण नंबर
1	661 / अपील / 2021–22
2	648 / अपील / 2021–22
3	663 / अपील / 2021–22
4	650 / अपील / 2021–22
5	655 / अपील / 2021–22
6	652 / अपील / 2021–22
7	662 / अपील / 2021–22
8	646 / अपील / 2021–22
9	651 / अपील / 2021–22
10	647 / अपील / 2021–22
11	667 / अपील / 2021–22
12	654 / अपील / 2021–22
13	660 / अपील / 2021–22
14	664 / अपील / 2021–22
15	653 / अपील / 2021–22
16	657 / अपील / 2021–22
17	659 / अपील / 2021–22
18	651 / अपील / 2021–22
19	666 / अपील / 2021–22
20	703 / अपील / 2021–22
21	835 / अपील / 2021–22
22	665 / अपील / 2021–22
23	668 / अपील / 2021–22
24	658 / अपील / 2021–22
25	656 / अपील / 2021–22

ANNEXURE C-9

(25)

कार्यालय नगर परिषद साईखेडा जिला, नरसिंहपुर म.प्र.

(E-MAIL ADDRESS- CMOSAIKHEDA@MPURBAN.GOV.IN फोन 07791-250320)

क्रमांक/922/न.प.साई/2022

साईखेडा, दिनांक 07/09/2022

प्रति,

मानननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT)
केन्द्रीय शाखा, भोपाल

विषयः– आपके आदेश के पालन में की गयी एवं की जा रही कार्यवाही का विवरण।

संदर्भः–
1. ओरिजिनल एप्लीकेशन क्रमांक 23/2021 (CZ) के आपके द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.2021।
2. एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन क्रमांक 02/2022 (CZ) के तहत कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर को जारी आपका पत्र क्रमांक D.No./NGT/2022/38 भोपाल दिनांक 16.03.2022।
3. अपर कलेक्टर महोदय का पत्र क्रमांक 3395/सिविल सूट/2022 नरसिंहपुर दिनांक 11.04.2022।
4. MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD No. 1670/MSW/HOPCB/2022 Bhopal Date: 13/05/2022।
5. एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन क्रमांक 13/2022 (CZ) ओरिजिनल एप्लीकेशन नं. 23/2021 सुनवाई दिनांक 13.07.2022।

––0––

महानुभाव,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन हैं कि संदर्भित आदेश क्रमांक 1 के पालन हेतु संस्थित आवेदन संदर्भित क्रमांक 2 के अनुसार दिए गये निर्देशो के पालन हेतु कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर द्वारा जारी पत्र संदर्भित क्रमांक 3, 4, 5 के परिपालन में नगर परिषद सांईखेडा द्वारा नरहरियानंद तालाब के संरक्षनार्थ अब तक की गयी एवं की जा रही कार्यवाहीयों का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. स्वामी नरहरियानंद तालाब, ग्राम सांईखेडा, राजस्व निरीक्षक मंडल सांईखेडा तहसील सांईखेडा जिला नरसिंहपुर स्थित तालाब मद की शासकीय भूमि खसरा नम्बर 456, 457, 458/1 रकवा 6.770 हे0 में स्थित हैं।
2. आपके द्वारा दिए गये आदेश/निर्देश के परिशिष्ट A-1की कंडिका (1) के परिपालन में निकाय द्वारा 2-6 MLD क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्रियान्वयन इकाई मध्य प्रदेश शहरी विकास निगम मर्यादित (MPUDCL) के माध्यम से कराया जा रहा हैं, जो लगभग 80 प्रतिशत तक पूरा हो गया हैं, जिसे यथाशीघ्र पूर्ण होने की संभावनाये क्रियान्वयन इकाई के द्वारा व्यक्त की गयी है। साथ ही सीवेज लाईन बिछाने का कार्य भी 92 प्रतिशत तक पूरा कर लिया गया हैं।
3. प्रोजेक्ट क्रियान्वयन इकाई के प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा वर्षा ऋतु उपरांत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किये जाने के संभावना व्यक्त कि गयी हैं, जिसके

raj

पूरा होते ही दूषित जल का समुचित प्रबंधन किया जा सकेगा। नगर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण किया जाकर ठोस अपशिष्ट का यथोचित प्रबंधन किया जाता हैं, उक्त ठोस अपशिष्ट तालाब में डाले जाने पर अर्थ दंडात्मक कार्यवाही की सूचना नगर वासियों में समय समय पर प्रचारित/प्रसारित की जा रही हैं। (26)

4. तालाब भूमि पर अतिक्रमण कर कुल 73 भवन बने हुए हैं, जिन्हे नगर परिषद के द्वारा पर्यावर्णीय क्षतिपूर्ति एवं भू–स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने के संबंध में नोटिस जारी किये गये हैं जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना प्रचलन में हैं। नोटिस जारी किये जाने के बाद से कुल 32 भवन धारको के द्वारा अपना निस्तारी पानी तालाब में जाने से रोक कर अन्यत्र निकासी की जा रही हैं, शेष भवनों का पानी तालाब में न जावे इस हेतु इनका निस्तारी पानी सीवेरज पाईप लाईन से जोडा गया हैं, जिसका बहाव तालाब से अन्यत्र हैं। उक्त तालाब में मिलने वाले स्थानीय दो नाली जिनसे वर्षा काल में तालाब का केचमेंट वाटर (स्ट्राम वाटर) प्रभावित हो रहा था उसका बहाव भी तालाब की ओर से परिवर्तित कर दिया गया हैं, जिससे उनका पानी तालाब में नहीं जा रहा हैं।
5. तालाब भूमि अतिक्रमण कर बने 73 भवनों पर नायब तहसीलदार के द्वारा मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत विधिवत कार्यवाही संस्थित की गयी थी, जिसके पूर्ण होने पर कतिपय लोगों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में बाद दायर किया था, जिसका प्रकरण कमांक MISC पिटीशन कमांक 781/2022 हैं जिसमें पारित आदेश दिनांक 04.03.2022 में तहसीलदार सांईखेडा को निर्देशित किया गया हैं कि पिटीशनर को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदाय किया जाकर निराकरण करें। जिसके परिपालन में राजस्व विभाग सांईखेडा के द्वारा विधिक प्रकिया का अनुसरण करते हुए कार्यवाही का निराकरण करने का आदेश जारी करना उचित होगा।

आपके द्वारा दिए गये निर्देशो के पालन में अब तक की गयी कार्यवाही एवं की जाने वाली कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्टो सहित सादर प्रस्तुत किया जा रहा हैं। कृपया अभिस्वीकृति प्रदान किये जाने का कष्ट करें।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, सांईखेडा

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद सांईखेडा

raj